जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : प.31(30)विविध/जविप्रा/साग/डी– 4554

दिनांक : 17-10-2014

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण की समसंख्यक पत्रावली आदेश क्रमांक एफ. 31(30)विविध/सग/2010/डी–6058 दिनांक 09.11.2010, डी–528 दिनांक 06.02.2012 एवं डी–2017 दिनांक 30.05.2014 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग में जयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित कतिपय अपीलों/परिवादों में अधिनियम की धारा 20(1) में आरोपित शास्तियों/अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राप्त निर्देशों की पालना हेतु पूर्व में एक प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।

प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) द्वारा प्रख्यापित/प्रसारित परिपत्र क्रमांक प022(16)प्रसु/सू.अ./2010 दिनांक 16.12.2010 के अनुसार माननीय आयोग द्वारा आरोपित शास्ति राशि की कटौती सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी के वेतन से की जानी है।

उपर्युक्त आदेशों के पश्चात भी माननीय आयोग द्वारा आरोपित शास्ति राशि जयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा जमा नहीं करवाई जा रही है तथा उन प्रकरणों में जांच शाखा, जविप्रा. द्वारा भी आवश्यक जांच पश्चात जिम्मेदारी तय कर शास्ति वसूली सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा रही है। अतः उपर्युक्त आदेशों में निम्नानुसार आवश्यक संशोधन किया जाता है :–

1. चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत शास्ति राशि की वसूली संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी से ही की जानी है अतः आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति राशि जविप्रा कोष की मद से जमा करवाने के संबंध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कोई भी पत्रावली प्रेषित/प्रस्तुत नहीं की जावेगी तथा आयोग से प्राप्त निर्णय में अधिरोपित शास्ति की राशि उत्तरदायी राज्य लोक सूचना अधिकारी के वेतन से ही कटौती की जाकर आयोग में प्रेषित किये जाने की कार्यवाही अति. आयुक्त (प्रशासन) द्वारा पूर्ण करवाई जायेगी।

2. कार्यालय आदेश दिनांक 30.05.2014 की जारी तिथि के पश्चात सतर्कता प्रकोष्ठ को प्राप्त शास्ति से संबंधित आयोग के निर्णयों संबंधी सूचना अति. आयुक्त (प्रशासन) को भिजवाई जायेगी, जिस पर उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा कर संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी से शास्ति वसूल करने के आदेश जारी किये जायेंगे।

   जिन प्रकरणों में शास्ति संबंधी आयोग के निर्णय सीधे ही संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके द्वारा ऐसे सीधे प्राप्त प्रकरणों की जानकारी/सूचना तत्काल अति. आयुक्त (प्रशासन) को उपलब्ध करवाई [illegible] उत्तरदायी राज्य लोक सूचना अधिकारी से शास्ति [illegible] संबंधी आदेश जारी किये जा सके [illegible] कारण यदि किसी भी कारणवश [illegible] तो ऐसे प्रकरणों को [illegible] पर उत्तरदायी लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशा[illegible] कार्यवाही की जा सकेगी एवं [illegible] उसी उत्तरदायी [illegible] सूचना अधिकारी से अति. आयुक्त (प्रशासन) द्वारा की [illegible]

3. कार्यालय आदेश दिनांक 30.05.2014 के जारी होने के पश्चात वर्तमान पदस्थापित उपायुक्त जोन–01 द्वारा 4–5 प्रकरणों में सचिव, जविप्रा के स्वीकृति आदेश जारी करवाकर जविप्रा कोष से शास्ति भुगतान की कार्यवाही करवा दी गई है किन्तु यह शास्ति राशि किस उत्तरदायी राज्य लोक सूचना अधिकारी से वसूल की जानी है इसकी विस्तृत जानकारी प्रशासन को नहीं दी गई है। अतः उपायुक्त जोन–01 द्वारा उक्त जानकारी आवश्यक रूप से एक सप्ताह में सचिव, जविप्रा को उपलब्ध कराई जायेगी।

4. उपायुक्त (जांच) द्वारा **शास्ति संबंधी प्रकरणों** में आवश्यक जांच पूर्ण कर उत्तरदायी राज्य लोक सूचना अधिकारी के नाम चिन्हित कर अति. आयुक्त (प्रशासन) को प्रत्येक अवस्था में दिनांक 30.10.2014 तक अवगत कराया जायेगा। इसके अलावा **अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रकरणों** में भी उपायुक्त (जांच) द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र जांच कर उत्तरदायी राज्य लोक सूचना अधिकारी/कार्मिक के नाम चिन्हित कर अति. आयुक्त (प्रशासन) को प्रेषित किये जायेंगे ताकि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

5. सूचना आयोग से कुछ समय पूर्व प्राप्त सूची अनुसार शास्ति संबंधी 43 प्रकरणों के निर्णय संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारियों को पूर्व में प्राप्त हो चुके हैं तदापि सुविधा की दृष्टि से उक्त प्रकरणों की एक संक्षिप्त सूची समन्वय प्रकोष्ठ द्वारा उपायुक्त (जांच) को भिजवा दी जायेगी जिस पर उनके द्वारा उत्तरदायी राज्य लोक सूचना अधिकारियों के नाम चिन्हित आदि करने संबंधी कार्यवाही की जाकर शास्ति वसूली संबंधी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(शिखर अग्रवाल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. रजिस्ट्रार, राजस्थान सूचना आयोग, ओ.टी.एस. परिसर, झालाना डूंगरी, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (वित्त), जविप्रा को भेजकर लेख है कि राजस्थान सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि का भुगतान जविप्रा कोष से नहीं किया जाना सुनिश्चित करें।
5. निदेशक (अभियांत्रिकी-I/II/विधि/आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अति. आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/भूमि/पुनर्वास), जविप्रा, जयपुर।
7. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
8. संयुक्त आयुक्त (संस्थान विकास एवं समन्वय/सिस्टम मैनेजमेन्ट), जविप्रा, जयपुर।
9. राज्य लोक सूचना अधिकारी, ..., जविप्रा, जयपुर।
10. प्राधिकरण अभिभाषक (आर.टी.आई.) जविप्रा., जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

(पवन अरोड़ा)
सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: [illegible]/जविप्रा/सम/डी-/2015 998 दिनांक 01-3-16

-: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान सूचना आयोग द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 10.09.15 में उनके द्वारा अधिरोपित शास्ति/क्षतिपूर्ति राशि समय पर जमा न कराये जाने को गंभीरता से लेते हुए नाराजगी जाहिर की है तथा आगाह किया है कि अधिरोपित शास्ति/क्षतिपूर्ति समय पर जमा नहीं कराई जाती है तो आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान एवं भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमें दर्ज करायेगा।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया है कि राजस्थान सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति की वसूली बावत् जारी पत्रों की पावती के पश्चात भी संबंधित अधिकारी एवं कार्मिकों द्वारा न तो जवाब पेश किया जा रहा है और न ही वसूली योग्य राशि जमा करायी जा रही है, जिसकी वजह से आयोग में अधिरोपित शास्ति जमा नहीं हो पा रही है। अतः पूर्व में प्रसारित आदेशों के क्रम में निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

जविप्रा में कार्यरत जिन अधिकारी/कर्मचारियों को शास्ति राशि जमा करवाने हेतु पत्र भिजवाया गया है एवं तामील होने के पश्चात 15 दिवस में संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है उन अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन से 5000/- प्रतिमाह के हिसाब से वसूली पूर्ण होने तक कटौती किये जाने हेतु लेखाधिकारी(भुगतान) को लिख दिया जावेगा, जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आये उन अधिकारियों/कर्मचारियों जिनका स्थानान्तरण अन्यत्र हो चुका है, उनके विरुद्ध अधिरोपित शास्ति राशि जमा कराने हेतु पत्र भिजवा दिये गये है एवं पत्र तामील होने के पश्चात 15 दिवस में संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनके पैतृक/कार्यरत विभाग के वेतन आहरण एवं वितरण अधिकारी को उनके वेतन से राशि कटौती कर भिजवाने हेतु पत्र लिख दिया जावेगा, जिसके [illegible] होंगे।

(शिखर अग्रवाल),
जयपुर विकास आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, राजस्थान सूचना आयोग, ओ.टी.एस. परिसर, झालाना डूंगरी, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक(वित्त), जविप्रा को भेजकर लेख है कि राजस्थान सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि का भुगतान जविप्रा कोष से नहीं किया जाना सुनिश्चित करें।
5. निदेशक(अभियांत्रिकी-I, II/विधि/आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/[illegible]), जविप्रा, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
8. मुख्य नियंत्रक(प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
9. संयुक्त आयुक्त(संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
10. राज्य लोक सूचना अधिकारी ....
11. प्राधिकरण अभिभाषक(आर.टी.आई.), जविप्रा, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

(पवन अरोड़ा)
सचिव,
जविप्रा, जयपुर।